



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18042022-235172
CG-DL-E-18042022-235172

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1736]

No. 1736]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 18, 2022/चैत्र 28, 1944

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 18, 2022/CHAITRA 28, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2022

आय-कर

का.आ. 1825(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (48घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक को, निर्धारण वर्ष 2022-2023 से शुरू होने वाले लगातार दस निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए उक्त खंड के प्रयोजनों हेतु, अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना संख्या 31/2022/ फा.सं.370142/17/2022-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2022

INCOME – TAX

S.O. 1825(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48D) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies the National Bank for Financing Infrastructure and Development, established under section 3 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), for the purposes of the said clause for a period of ten consecutive assessment years beginning from the assessment year 2022-2023.

2. This notification shall come into force from the date of its notification in the Official Gazette.

[Notification No. 31/2022/F. No. 370142/17/2022-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy.